

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 73/2020 राजस्व अपील

1. गंगाबिशन पुत्र फैलीराम जाति मीना निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।  
रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.08.2020 नायब तहसीलदार सिकराय मुकदमा नम्बर 87/2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गंगाबिशन अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।  
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 29.01.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के खिलाफ एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने सम्वत 2077 में ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय भूमि खसरा नं. 1109/18 कुल रकबा 24.44 है. किस्म चरागाह में से 0.10 है. भूमि पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्ट की तामील हुए बिना एवं अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना दिनांक 14.08.2020 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट पर शास्ति आरोपित करते हुए 60 दिन के सिविल कारावास सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2020 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं न्याय के सामान्य प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन किये बिना यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विरुद्ध प्रथम दृष्टया जुर्म के साक्ष्य नहीं मिलने के बाद भी अपीलान्ट को दोषी मानते हुए दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया तथा अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया।



29/01/2021 जिला कलक्टर

अपीलान्ट ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट पेश की है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.10 है। भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिये जाने का मौखिक रूप से निवेदन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 14.08.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।


जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.10 है। भूमि पर बाजरे की काशत कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शास्ति आरोपित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 14.08.2020 को बेदखल कर शास्ति आरोपित करने के साथ ही 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है जो कि बार-बार अतिक्रमण कर लेता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।


हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा मौके पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने का मौखिक रूप से निवेदन करने पर नायब तहसीलदार सिकराय से अतिक्रमण हटा लिये जाने बाबत मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। नायब तहसीलदार सिकराय ने अपनी मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट का मौके पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जाना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2020 सरकार बनाम गंगाबिशन में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

  
( लोकेश कुमार मीना )  
अति० जिला कलक्टर, दौसा

  
( लोकेश कुमार मीना )  
अति० जिला कलक्टर, दौसा